

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4578/2025

राजा भैया एवं 13 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप संचालक चकबंदी बांदा एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: रोहित यादव, सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., राम सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को बेहतर विशिष्टियों और मामले के विवरण के साथ नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।
3. कैविएटर के विद्वान अधिवक्ता को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. इस प्रकार, रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, संबंधित स्थानों पर इसकी फोटोस्टेट प्रति रखने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।
6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि यदि नई रिट याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति कैविएटर - प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को तामील कराई जाए।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.के.जी.